

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून— 248001

फोन नं 0 (0135) — 2713760, 2713551  
फैक्स नं 0 (0135) — 2713724

संख्या: ४५२ /XXV- 12(P-7) /2008

देहरादून: दिनांक ०२ मार्च, 2019.

सेवा में,

समस्त लोक सूचना अधिकारी,  
जिला निर्वाचन कार्यालय  
उत्तराखण्ड।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनु सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या—2362 /रानि0आ0—1 /2580 /2019 दिनांक 05 /03 /2019 के साथ संलग्न श्री लखमीर सिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह, गाँव—ध्यानपुर, डाकखाना—नानकमत्ता जिला—ऊधमसिंह नगर, पिन—262311 के प्रार्थना पत्र दिनांक 24—02—2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा चाही गयी वांछित लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन से संबंधित सूचना आपके कार्यालय के संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार अपने से संबंधित वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(डी०पी०डंगवाल)  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

प्र०संख्या ४५२ /XXV-12(1-5) /2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि श्री लखमीर सिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह, गाँव—ध्यानपुर, डाकखाना—नानकमत्ता जिला—ऊधमसिंह नगर, पिन—262311 को सूचनार्थ प्रेषित।

((डी०पी०डंगवाल))  
अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग  
उत्तराखण्ड



पंत्रांक २३६२ / रा.नि.आ.-१/२५८०/२०१९

दिनांक ५/०३/२०१९

## राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

लोक सूचना अधिकारी /  
अनुभाग अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
सचिवालय परिसर, देहरादून।

श्री लखमीर सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह, गाँव-ध्यानपुर, डाकखाना-नानकमत्ता जिला-ऊधमसिंहनगर का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 24.02.2019 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 01.03.2019 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध-पत्र में मांगी गयी लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन से संबंधित सूचना जो आपके विभाग से संबंधित है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भूवदीय,  
१५/३/२०१९  
(बी०पी०कोठारी)  
अनु सचिव /  
लोक सूचना अधिकारी।  
मो०न०-७५३४८२०७०७

संख्या— /रा०नि०आ०-१/२५८०/२०१९ तददिनांक (पंजीकृत)

प्रतिलिपि:- श्री लखमीर सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह, गाँव-ध्यानपुर, डाकखाना-नानकमत्ता जिला-ऊधमसिंहनगर। पिन:- 262311

✓  
(बी०पी०कोठारी)  
अनु सचिव /  
लोक सूचना अधिकारी।

२५८०

लोक सूचना अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ८(1) ने ऐसा  
Right to Information Act 2005 is time bound and most urgent matter.  
सेवा में।

९३२  
०१३/१९

१. लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय राज्य निर्बन्धना आपेक्षा  
केवराइन उत्तराखण्ड शासन
२. लोक सूचना अधिकारी / कार्यालय पंचायतीय दुर्गावालप  
कश्मीर जिला प्रशासनिक बोर्ड

विषय: लोक सूचना अधिनियम २००५ के भास्तव्यत बांदित हूचना याद्वे द्वारा  
शुरुआती उत्तराखण्ड सिंह द्वारा श्री डॉ ध्यानपुर डाक खाना: नामबद्ध  
जिला क्षेत्रादिवं नगर उत्तराखण्ड राज्य दिनांक २६२३।।

सूचना बाबा सम्बन्ध!— उत्तराखण्ड राज्य में निर्बन्धन की जानकारी से सम्बन्धित हूचना  
परिदृश्य,

कृपया निम्नलिखित विवरण की वांछित हूचना ये का बहु करे।

१. मह हूचना देने का बहु करे कि, राज्य (उत्तराखण्ड) स्थापना वर्ष १९८० वर्ष  
वर्ष २००० के पश्चात राज्य में लोकसभा, विधान सभा, एवं श्रिस्तीय सामाजिक  
निर्बन्धन (ग्राम सभाएँ, ब्लॉक पंचायत, डिलापंचायत) जिन तिपिकों में तथा जिन्हें  
का० निर्बन्धन हुए/ आयोग द्वारा करोप गये उन्हीं द्वारा जिन तिपिकों  
सम्बन्धित प्रबल किले में चलि रहे हैं शुचना प्रमाणित किए गए बहु करे।
२. मह कि जनपद अधिनियम नगर में निस्तीय सामाजिक निर्बन्धन के अन्तर्भूत अप्रृद्धम  
के विविधन विकासखण्ड सितारोज में उत्तराखण्ड राज्य अस्तित्व में अनेक चालियों/  
करवारों द्वारा उत्तराखण्ड समस्त विकासखण्ड सूचना देने वाले काण्ट करे।

लोक सूचना अधिनियम २००५ के अन्तर्भूत छठ दो/२ विद्युतों की अविहीक्षित सूचना को  
अपने स्वर/ अपने अधिनियमों द्वारा विधीनित समय तक देने/ दिलाने जौ कि अविहीक्षित  
शुल्क किले में शुरुआती के द्वारा अधिनियम की धारा ८(८) अन्तर्भूत श्री नीलकंठ  
प्रसाद (पूर्ण द्वापर्यात्रि) भा. न० ०५० की आवश्यकता संस्करण है। व्यापा नहीं जहि हूचना देने  
का काण्ट करे।


दिनांक: २५.०२.२०१९

Loknayak Singh  
शुरुआती  
संखारी दिवं

# बी०पी०एल०प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....ज्ञान मीर लिंग  
पुत्र/पत्नी.....कृष्ण प्रियंका.....निवासी ग्राम.....दूधापुर  
विकास खण्ड/तहसील सिटारगंज जिला उधम सिंह नगर का स्थान है जिसका  
नाम बी०पी०एल०पुनर्नीक्षण सूची बर्ध.....२०/५०-१५ के अनुसार संख्या.....  
प्राप्तांक.....१०३७६ अंक के साथ दर्ज है।  
उपरोक्त लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता/करती है।

C-5

V.   
Development  
Block Officer (U.S.N.R.)

ग्राम विकास अधिकारी

आम पदाधिकारी  
विकास अधिकारी

प्राप्त - 6/3/19

# राज्य निर्वाचन आयोग


उत्तराखण्ड



पत्रांक २३६२ / रा.नि.आ.-१/२५८०/२०१९

*लक्ष्मी*  
*पाठी*

दिनांक ५/०३/२०१९



## राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

लोक सूचना अधिकारी/  
अनुभाग अधिकारी,  
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,  
सचिवालय परिसर, देहरादून।

श्री लखमीर सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह, गॉव-ध्यानपुर, डाकखाना-नानकमत्ता जिला-ऊधमसिंहनगर का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 24.02.2019 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 01.03.2019 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध-पत्र में मांगी गयी लोक सभा एवं विधान सभा निर्वाचन से संबंधित सूचना जो आपके विभाग से संबंधित है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

*वी०पी०कोठारी*  
(बी०पी०कोठारी)

अनु सचिव/  
लोक सूचना अधिकारी।  
मो०न०-७५३४८२०७०७

संख्या— /रा०नि०आ०-१/२५८०/२०१९ तददिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपि:- श्री लखमीर सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह, गॉव-ध्यानपुर, डाकखाना-नानकमत्ता जिला-ऊधमसिंहनगर। पिन:-262311

*वी०पी०कोठारी*

अनु सचिव /  
लोक सूचना अधिकारी।

२५८०

लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा ८(१) ने ऐसा  
Right to Information Act 2005 is time bound and most urgent matter.  
सेवा में।

९३२

०१/३/१९

१. लोक सूचना अधिकारी / आपिलप राज्य निर्बाचन आयोग  
द्वारा द्वारा उत्तराखण्ड शासन
२. लोक सूचना अधिकारी / कापिलप पंचायती दुर्गवालप  
राष्ट्रपति जिला प्रशासनिक बोर्ड

विषय: लोक सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्भूत वांछित सूचना वाई के द्वारा  
शुरुआती इसकी स्थिति है तथा श्री डॉ रविंद्र गवें ध्यानपूर नामक व्यक्ति नामक व्यक्ति  
जिला कार्यालय नाम उत्तराखण्ड राज्य निवास २६२३।।

सूचना का सवाल— उत्तराखण्ड राज्य में निर्बाचन की जानकारी के संबंधित सूचना  
समिति,

व्यापक निम्नलिखित विवरण की वांछित सूचना के बाबत करे।

१. मह सूचना देने का बहु बहु करे कि, राज्य (उत्तराखण्ड) स्थापना वर्ष १९७८ में  
वर्ष २००० के पश्चात राज्य में लोकसभा, विधान सभा, एवं श्रिस्तीय सामाजिक  
निर्बाचन (ग्राम पंचायत, व्येष्ठपंचायत, जिलापंचायत) जिन तिपिकों में तथा जिनमें  
कार्यालय हैं। आयोग द्वारा करोप होए उन्हीं सम्बोधित तिपिकों  
कार्यालय समिति पुनर्वित पुनर्वित पुनर्वित में चाली हाई द्वारा प्रमाणित किये गए हो।
२. मह कि जनपद शुरुआती द्वारा में श्रिस्तीय सामाजिक निर्बाचन के अन्तर्गत ग्रामपंचायत  
के विविध विकासखण्ड वितायोज में उत्तराखण्ड राज्य अस्तित्व में अन्तर्गत किसे/  
करवाए जाये उन्हीं समस्त वितायोज सूचना के बाबत करें।

लोक सूचना अधिनियम 2005 के अन्तर्गत छठव दो/२ विट्टुओं की घटियर्द सूचना को  
अपने स्वर / अपने अधिकारों के विधारित सप्ताह तक देने / दिलाने जा कि संबंधित  
कुल किवरण में शुरुआती के द्वारा अधिनियम की धारा ८(५) अन्तर्गत श्री पी.एस  
प्रमाणपत्र द्वारा दिया गया है। व्यापक वाहिनी संस्करण है। व्यापक वाहिनी सुचना देने  
का कर्ण करें।

दिनांक: २५.०२.२०१९

Cokhmeer Singh  
शुरुआती  
राखमीर दिहं

# बी०पी०एल०प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....<sup>लक्ष्मी मीर लिंगे</sup>  
पुत्र/पत्नी.....<sup>द्वितीय</sup>.....निवासी ग्राम.....<sup>लक्ष्मीपुर</sup>  
विकास खण्ड/तहसील सितारगंज जिला उधम सिंह नगर का स्थाई है। इनका  
नाम बी०पी०एल०पुनर्योजन सूची बर्धमान/५०-५१ के अनुसार संख्या.....  
ग्रामांक.....<sup>१९३७६</sup> अंक के साथ दर्ज है।

उपरोक्त लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता/करती है।

C-5

V   
Village Development  
Board (U.S. Nagar)

ग्राम विकास अधिकारी

लक्ष्मीपुर  
दिल्ली